**सं. एफ. 5-1/2021-ईई.1**
**भारत सरकार**
**शिक्षा मंत्रालय**
**स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

**नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2021**

**<u>कार्यालय ज्ञापन</u>**

**विषय : मंत्रिमंडल हेतु अगस्त माह, 2021 के मासिक सार के संबंध में**

अधोहस्ताक्षरी को अगस्त माह, 2021 के लिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों से संबंधित मंत्रिमंडल हेतु मासिक सार की एक प्रति एतदद्वारा परिचालित करने का निदेश हुआ है।

संलग्नक : यथोक्त

राजेश सैम्पले

**(राजेश सैम्पले)**
**अवर सचिव, भारत सरकार**
**टेलीफोन सं॰ : 011-23384589**

**सेवा में**

1. सभी मंत्री परिषद
2. सचिव, भारत सरकार, सभी मंत्रालय/विभाग
3. राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. उप राष्ट्रपति के सचिव, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली।

**प्रति सूचनार्थ प्रेषितः**

- माननीय शिक्षा मंत्री के निजी सचिव
- शिक्षा राज्य मंत्री के निजी सचिव
- सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) के प्रधान निजी सचिव

राजेश सैम्पले

**(राजेश सैम्पले)**
**अवर सचिव, भारत सरकार**
**टेलीफोन सं॰ : 011-23384589**

**शिक्षा मंत्रालय**

**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**मंत्रिमंडल हेतु अगस्त 2021 का मासिक सारांश**

## I. वित्तीय उपलब्धियां/विमुक्तियां :

31 अगस्त, 2021 तक बजट अनुमान का 26.76% जारी किया गया।

## II. महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और गतिविधियां/पहल:

| क्र. सं. | विषय | सारांश |
|---|---|---|
| 1 | समग्र शिक्षा | • समग्र शिक्षा के अंतर्गत 31 अगस्त, 2021 तक केन्द्रीय विमुक्ति (तदर्थ) 7735.49 करोड़ रूपये है।<br>• प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 4 अगस्त 2021 को संशोधित समग्र शिक्षा योजना को कुल 2,94,283.04 करोड़ रूपये के वित्तीय परिव्यय के साथ पांच साल की अवधि 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसमें 1,85,398.32 करोड़ रुपये का केंद्रीय भाग शामिल है। गुणवत्ता, समावेशी और समान शिक्षा प्रदान करने हेतु इस योजना में स्कूल पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारक अर्थात शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक, छात्र, अभिभावक, समुदाय, स्कूल प्रबंधन समितियां, एससीईआरटी, डीआईईटी, बीआईटीई, ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों, क्लस्टर संसाधन व्यक्तियों, स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल (पूर्व-प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक) के 1.16 मिलियन स्कूल, 156 मिलियन से अधिक छात्रों और 5.7 मिलियन शिक्षकों को शामिल किया गया है।<br>योजना के तहत स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रमुख हस्तक्षेप हैं: (i) बुनियादी ढांचागत विकास और प्रतिधारण सहित सार्वभौमिक पहुंच; (ii) मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, (iii) जेंडर और समानता; (iv) समावेशी शिक्षा; (v) गुणवत्ता और नवाचार; (vi) शिक्षक वेतन हेतु वित्तीय सहायता; (vii) डिजिटल पहल; (viii) वर्दी, पाठ्यपुस्तक आदि सहित आरटीई हकदारी; (ix) ईसीसीई के लिए सहायता; (x) व्यावसायिक शिक्षा; (xi) खेल और शारीरिक शिक्षा; (xii) शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण सुदृढ़ीकरण; (xiii) निगरानी; (xiv) कार्यक्रम प्रबंधन; और (xv) राष्ट्रीय घटक। यह योजना, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की सिफारिशों को लागू करने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करती है। |